यागारा ५४ग राष्ट्रा ११४ग था। उत्तर प्रदेश शासन लखनस

खलासी लाईन आवास पर प्रस्तावित गुप्र हासिसंग परियोजना की T.O.D. पालिसी के अन्तर्गत, स्वीकृति के सम्बन्ध विषय:— भूखण्ड संख्या 11, 11ए, 12 एवम 13 संख्या 7/98, 7/99 तिलक नगर, कानपुर

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी/प्रार्थी के गुप हाउसिंग परियोजना दिनांक 13.05.2022 को U.P.O.B.P.A.S. पोर्टल के माध्यम से आवेदन कियां था। सादर अवगत कराना है कि उक्त परियोजना के अनुमोदन हेतु भैने 中的中的 प्रमाणपत्र दिनांक 10.06.2021 को प्राप्त कर लिया गया था। दिनांक 24.08.2022 के पूर्व से लागू T.O.D. नीति 04.03.2015 के अन्तर्गत मेरे द्वारा अपनी परियोजना की प्लानिंग करते हुए लगभग 300 करोड़ रूपया निवेश करने हेतु आवेदन किया द्वारा आनलाईन आवेदित मवन मानवित्र संख्या K.D.A./B.P/22-स्वीकृति हेतु आ गया है। परन्तु इसी मध्य उत्तर प्रदेश शासन के आवास एवम विभाग द्वारा जारी "उत्तर प्रदेश ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेवलपमेन्ट 3.2.2 में निम्नोंकित प्राविधान अकित कर दिए जाने के कारण मेरे भवन मानचित्र 4 होने के कारण उक्त नीति के 23/0182 U.P.O.B.P.A.S. मोर्टल से स्कुटनाङ्गण होकर प्राधिकरण कानपुर विकास प्राधिकरण से उक्त परियोजना को T.O.D. जोन के स्वीकृति की प्रकिया स्थागित हो गयी है:--<u>धार</u>् 2022 दिनांक 24.08.2022 नियोजन के सम्बन्ध में शहरी 北京

"टी.ओ.डी. जोन्स के अन्तर्गत टी.ओ.डी. नीति के संचालन एवम टी.ओ.डी. डेवलपमेन्ट प्लान का पूर्व अनुमोदन अनिवार्थ रूप से अपेक्षित होगा" <u>의</u> की स्वीकृति के लिए सम्बन्धित टी.ओ.डी. योजना

कराने एवम उसे अनुमोदित कराने की कार्यवाही फ़त्तर प्रवेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन कानपुर द्वारा किया जा रहा है। उपरोक्तानुसार वर्णित परिस्थिति में मेरे गुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के अनुमोदन की प्रक्रिया वाधित हो जाने के कारण दीपाक्ली के पूर्व योजना के प्रारम्म/लॉब किए जाने की योजना को गहरा धक्का लगा जिससे प्राथीं मानशिक रूप से आहत है। आनलाईन आवेदित ग्रुप हाउसिंग मवन मानचित्र के सम्बन्ध में तिथिवार घटनाकम निम्नवत हैं...

कम स्वर्धा 2 2 4

के अन्तर्गत टी.ओ.डी नीति के सचालन एवम टी.ओ.डी योजना की स्वीकृति के विचाराधीन अनुमोदन समस्त प्रगतिशील प्रकरण जोनल डेबलपमेन्ट प्लान का पूर्व समस्त कारण उत्तर प्रदेश के 10 क् F.A.R. 18 16 सम्बन्धित टी.ओ.डी जोन के अभिवार्यरूप से अपेक्षित होगा. टी.ओ.खी. जोन 铷 प्रकरण अर्थात वाधित हो रहे मि

귷 U.P.O.B.P.A.S. पोर्टल पर कर दिया गया था वह उक्त नीति 24,08,2022 के कम इस पर ट्रिलियन अप्रवल है कि अधोहस्ताक्षरी आनलाईन वाधित हो गया है जो कि एक पालिसी जर्क के समान है। द्वारा के कम में सादर अवगत कराना ग्रार्थी 13.05.2022 को इकोनामी को मी धक्का लगेगा। दिनांक उवत <u>च</u> TI do Kin

र्वम आवास एवम शहरी गुरु 100 प्रमाण पत्र/पत्र दिनांक U.P.O.B.P.A.S. पोर्टल के माध्यम से आनलाईन आवेदन संख्या K.D.A/B.P./22-आबेरित कर दिया गया था जो दिनांक 16.07.2022 को आनलाईन के पश्चात् अपने कराते नियोजन विभाग द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 24.08.2022 के पूर्व ही प्राथी आवेदित मानवित्र पोर्टल से प्री—अप्रूवल होकर प्राधिकरण स्तर पर परीक्षण नियोजन उपरोक्त के दृष्टिगत चूँकि उत्तर प्रदेश शासन के 10.06.2021 कानुपर विकास प्राधिकरण से प्राप्त करने ग्राप्त वास्तुविद से अपने भूखण्ड को टी.ओ.डी जोन के अन्तर्गत होने का अभिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। हासिसंग प्रोजेक्ट हेतु ख्याति 23/0182

अतः आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संशोधित टी.ओ डी नीति 2022 दिनांक 24.08.2022 के पहले के प्रकरण जो आवेदित हो गये थे और रूकोवट विकास सही दिशा में हो सके और अनावश्यक समय, धन व प्रगति न हो और इस सम्बन्छ में अवश्यक निर्देश पारित किया जाए।

सादर निवेदित

प्रार्थी

(महेश चन्द्र जैन) पार्टनर पलोमा रियलटी एलएलपी, 60 / 52, नयागंज, कानपुर---208001

खनासी लाईन आमस प्रस्तावित गुप हानसिंग T.O.D. पालिसी के अन्तर्गत, स्वीकृति के राम्बन्ध कानपुर पर विषय – मूखण्ड संख्या 11, 11ए, 12 एवम 13 रांख्या 7/98, 7/99 तिलक नगर, परियोजना की

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक अद्योहस्ताक्षरी/प्राथीं के गुप हाउसिंग परियोजना ¥G₹ के सम्बन्ध में सादर अबगत कराना है कि उक्त परियोजना के अनुमोदन हेतु भैने दिनांक 13.05.2022 को U.P.O.B.P.A.S. पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया था। 中四十四 प्रमाणपत्र दिनांक 10.06.2021 को प्राप्त कर लिया गया था। दिनांक 24.08.2022 के पूर्व से लागू T.O.D. नीति 04.03.2015 के अन्तर्गत मेरे द्वारा अपनी परियोजना की प्लानिंग करते हुए लगभग 300 करोड़ रूपया निवेश करने हेतु आवेदन किया द्वारा आनलाईन आवेदित मक्न मानवित्र संख्या K.D.A./B.P/22-विमाग द्वारा जारी "उत्तर प्रदेश ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेवलपमेन्ट में निम्नांकित प्राविधान अंकित कर दिए जाने के कारण मेरे भवन मानवित्र आवास होने के कारण उक्त नीति के 23/0182 U.P.O.B.P.A.S. पोर्टल से स्कुटनाइज होकर प्राधिकरण कानपुर विकास प्राधिकरण से उक्त परियोजना को T.O,D, जोन स्वीकृति हेतु आ गथा है। परन्तु इसी मध्य उत्तर प्रदेश शासन के स्वीकृति की प्रक्रिया स्थागित हो गयी है... जारी दिनांक 24.08.2022 नियोजन 2022 गया! मेर शहरी 3.2.2

जोन्स के अन्तर्गत टी.ओ.डी. नीति के संचालन एकन टी.ओ.डी. 18 डेवलंयमेन्ट प्लान का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य रूप से अपेक्षित होगा" <u>티</u> स्वीकृति के लिए सम्बन्धित टी.बो.डी. याजना की "ते.ओ.की.

. ••• कराने एवम उसे अनुमोदित कराने की कार्यवाही उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन हाउसिंग प्रोजेक्ट के अनुमोदन की प्रक्रिया वाधित हो जाने के कारण दीपावेली के पूर्व योजना के प्रारम्भ/लॉच किए जाने की योजना को गहरा घक्का लगा जिससे कानपुर द्वारा किया जा रहा है। उपरोमतानुसार वार्णित परिस्थिति में मेरे प्रार्थी मानसिक रूप से आहत है। आनलाईन आवेदित ग्रुप हाउसिंग मानवित्र के सम्बन्ध में तिथिवार घटनाकम निम्नवत है:-

विवरण	उत्तर प्रदेश शासन के अग्रवास एवम शहरी नियोजन विमाग द्वारा टी.ओ.डी. हेतु जोनिंग रेगुलेशन, प्लानिंग नाम्से एवम भवन उपविधि का निर्धारण किया गया।	उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त नीति से आकृषित होकर प्राथीं द्वारा कानपुर नगर में टी.ओ.डी. जोन के अन्तर्गत गुप हास्तिमेंग प्रोजेक्ट हेतु मूमि क्य किया गया।	प्राधी द्वारा अपने मूखण्ड को टी.ओ.डी जोन के अन्तर्गत होने का कानपुर विकास प्राधिकरण से <u>प्रभाणपत्र</u> /पत्र दिनांक 10.06.2021 प्राप्त किया गया।	प्राथीं द्वारा अपने गुप हाउसिंग प्रोजेक्ट हेतु ख्याति प्राप्त वास्तुविद से नियोजन कराते हुए U.P.O.B.P.A.S. पोर्टल के माध्यम से आनलाईन आवेदन संख्या K.D.A./B.P/22- 23/0182 आवेदित किया गया।	आनलाईन आवेदित मानवित्र पोर्टल से प्री अपूवल होकर दिनांक 16.07.2022 को प्राधिकरण स्तर पर परीक्षण एवम अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।	उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संशोधित टी.ओ.डी नीति 2022 जारी होने एवम उसके प्रस्तर संख्या 3.2.2 में अल्लिखित प्राविधान के अन्तर्गत टी.ओ.डी जॉन के अनुसार जोनल डेंबलपमेन्ट प्लान के अनुमोदन होने तक मान्नित्र की स्वीकृति स्थागित है।
दिनाक	04.03.2015	18.03.2021	10.06.2021	13.05.2022	16.07.2022	24.08.2022
कम्. संख्या	. -	₹ .	en	4	ro	

समस्त विद्याराधीन जोनल डेक्लपमेन्ट प्लान का पूर्व अनुमोदन संचालन एवम टी.ओ.डी योजना की स्वीकृति प्रगतिशील कारण उत्तर प्रदेश के समस्त 16 <u>0</u> م F.A.R. 16 10 16 अपेक्षित होगा, के अन्तर्गत टीओं की नीति के टी.ओ.डी जोन टी.ओ.को जोन 牠 अनिवार्यरूप से सम्बन्धित प्रकरण अर्थात् वाषित हो रहे

अधोहस्ताक्षरी का भी Ŧ इस पर ट्रिलियन U.P.O.B.P.A.S. पोर्टेल पर कर दिया गया था वह उत्तत नीति 24.08.2022 के आनलाईन अपूषल ंजक कि समान है। कराना है कि प्राथीं. द्वारा में वाधित हो गया है जो कि एक पालिसी में सादर अवगत दिनांक 13.05.2022 को भी धक्का लगेगा। ФН उक्त <u>ਦ</u>ਿ इकोनामी को

नियोजन विमाग द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 24.08.2022 के पूर्व ही प्रार्थी द्वारा 5 अपने मूखण्ड को टी.ओ.डी जोन के अन्तर्गत होने का प्रमाण पत्र/पत्र दिनांक U.P.O.B.P.A.S. पोर्टल के माध्यम से आनलाईन आवेदन संख्या K.D.A/B.P./22-आवेदित कर दिया गया था जो दिनांक 16.07.2022 को आनलाईन आवेदित मानचित्र पोर्टल से प्री-अप्रूवल होकर प्राधिकरण स्तर पर परीक्षण एवम के पश्चात् अपने उपरोक्त के दृष्टिगत चूँकि उत्तर प्रदेश शासन के आवास एवम नियोजन 10.06.2021 कानुपर विकास प्राधिकरण से प्राप्त करने Æ, ख्याति प्राप्त वास्तुविद प्रेषित किया गया है। प्रोजेक्ट हेतु अग्रिम कार्यवाही हेतु 23/0182 हाउसिंग

अतः आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संशोधित टी.ओ.डी 統 नीति 2022 दिनांक 24.08.2022 के पहले के प्रकरण जो आवेदित हो मथे में रूकावर विकास सही दिशा में हो सके और अनावश्यक समय, धन व प्रगति न हो और इस सम्बन्ध में अवश्यक निर्देश पारित किया जाए।

सादर निवेदित,

पार्थी

(महेश चन्द्र जैन) पार्टनर पलोमा रियलटी एलएलपी, 60 / 52, नयागंज, कानपुर—208001

खलासी लाईन आवास पर प्रस्तावित गुप हारुभिंग परियोजना की T.O.D. पालिसी के अन्तर्गत, स्वीकृति के सम्बन्ध में. विषयः— मूखण्ड संख्या 11, 11ए, 12 एवम 13 संख्या 7/98, 7/99 सिलक नगर, कानपुर

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अद्योहस्ताक्षरी/प्रार्थी के गुप हाउसिंग परियोजना सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि उक्त परियोजना के अनुमोदन हेतु मैने दिनांक 13.05.2022 को U.P.O.B.P.A.S. पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया था। 6 24.08.2022 के पूर्व से लागू, T.O.D. नीति 04.03.2015 के अन्तर्गत मेरे द्वारा अपनी परियोजना आनेलाईन आवेदित भवन भानचित्र संख्या K.D.A./B.P/22-की प्लानिंग करते हुए लगपग 300 करोड़ रूपया निवेश करने हेतु आवेदन किया Ή आ गया है। परन्तु इसी मध्य उत्तर ग्रदेश शासन के आवास एवम शहरी नियोजन विभाग द्वारा जारी "उत्तर प्रदेश ट्रान्जिट ओरिएन्टेड क्षेत्रलफ्षेन्ट 2022 दिनांक 24.08.2022 जारी होने के कारण उक्त नीति के प्रस्तर भवन मान्नोधेत्र # 配 23/0182 U.P.O.B.P.A.S. पोर्टल से स्कृटनाइज होकर प्राधिकरण स्तार प्रमाणपत्र दिनांक 10.06.2021 को प्राप्त कर लिया गया था। दिनांक <u>ड</u>् 3.2.2 में निम्नॉकित प्राविद्यान अंकित कर दिए जाने के कारण मेरे कानपुर विकास प्राधिकरण से उक्त परियोजना को T.O.D. के स्वीकृति की प्रक्रिया स्थागित हो गयी है. द्वारा स्वीकृति हेतु 1111 宋 <u>₽</u>

जोनल "टी.ओ.डी. जोन्स के अन्तर्गत टी.ओ.डी. नीति के संचालन एवम टी.ओ.डी. डेवलपमेन्ट प्लान का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य रूप से अपेक्षित होगा" 16 योजना की स्वीकृति के लिए सम्बन्धित टी.ओ.डी. जोन

हाउसिंग प्रोजेक्ट के अनुमोदन की प्रकिया वाधित हो जाने के कारण दीपावली के पूर्व योजना के प्रारम्म/लॉम्ब किए जाने की योजना को गहरा धक्का लगा जिससे कानपुर द्वारा किया जा रहा है। उपरोक्तानुसार वर्णित परिस्थिति में भेरे प्राथीं मानसिक रूप से आहत है। आनलाईन आवेदित गुप हार्जसिंग मानचित्र के सम्बन्ध में तिथियार घटनाकम निम्नवत है.

विवर्षा	उत्तर प्रदेश शासन के आवास एवम शहरी नियोजन विभाग द्वारा टी.ओ.डी. हेतु जोनिंग रेगुलेशन, प्लानिंग नाम्से एवम भवन उपविधि का निर्धारण किया गया।	उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त नीति से आकर्षित होकर प्रार्थी द्वारा कानपुर नगर में टी.ओ.डी. जोन के अन्तर्गत गुप हाडसिंग प्रोजेक्ट हेतु भूमि कथ किया गया।	प्रार्थी द्वारा अपने मूखण्ड को टी.ओ.डी जोन के अन्तर्गत होने का कानपुर विकास प्राधिकरण से प्रमाणपत्र/पत्र दिनांक 10.06.2021 प्राप्त किया गया।	प्रार्थी द्वारा अपने गुप हाउसिंग प्रोजेक्ट हेतु ख्याति प्राप्त वास्तुविद से नियोजन कराते हुए U.P.O.B.P.A.S. पोर्टल के माध्यम से आनलाईन आवेदन संख्या K.D.A./B.P/22- 23/0182 आवेदित किया गया।	आनेलाईन आवेदित मानवित्र पोर्टल से प्री अप्रूवल होकर दिनांक 16.07.2022 को प्राधिकरण स्तर पर परीक्षण एवम अभिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।	उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संशोधित टी.ओ.डी नीति 2022 जारी होने एवम उसके प्रस्तर संख्या 3.2.2 में उल्लिखित प्राविधान के अन्तर्गत टी.ओ.डी जोन के अनुसार जोनल डेवलपमेन्ट प्लान के अनुमोदन होने तक मानचित्र की स्वीकृति स्थायित है।
दिनांक	04.03.2015	18.03.2021	10.06.2021	13.05.2022	16.07.2022	24.08.2022
कम संख्या		N .	က	4	r.	. ©

के अन्तर्गत टी.ओ.डी नीति के संचालन एवम टी.ओ.डी योजना की स्वीकृति के जोन के जोनल डेवलपमेन्ट प्लान का पूर्व अनुमोदन समस्त विचाराधीन प्रगतिशील के समस्त उत्तर प्रदेश के F.A.R. 154 अपेक्षित होगा, के कारण 16 खोन लिए सम्बन्धित टीओ डी टी.ओ.जी अनिदार्यरूप स प्रकरण अर्थात् नाधित हो रहे

Ð U.P.O.B.P.A.S. पोर्टेल पर कर दिया गया था वह उक्त नीति 24.08.2022 के कम इस पर दिलियन कम में सादर क्षवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी का आनलाईन में वाधित हो गया है जो कि एक पालिसी जर्क के समान है। द्वारा प्रार्थी a दिनांक 13.05.2022 इकोनामी को भी धक्का लगेगा। 16 उन्त हो

दृष्टिगत चूँकि उत्तर प्रदेश शासन के आवास एवम शहरी 3 नियोजन विमाग द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 24.08.2022 के पूर्व ही प्रार्थी द्वारा प्रमाण पत्र/पत्र दिनांक आवेदित मानदित्र पोर्टल से प्री-अप्रूवल होकर प्राधिकरण स्तर पर परीक्षण एवम U.P.O.B.P.A.S. पोर्टल के माध्यम से आन्नलाईन आवेदन संख्या K.D.A/B.P./22-के पश्चात् अपने 23/0182 आवेदित कर दिया गया था जो दिनांक 16.07.2022 को नियोजन 10.06.2021 कानुपर विकास प्राधिकरण से प्राप्त करने प्राप्त वास्तुविद से अपने मूखण्ड को टी.ओ.डी जोन के अन्तर्गत होने का अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। हाउसिंग प्रोजेक्ट हेतु ख्याति उपरोक्त के

अंतः आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संशोधित टी.ओ.डी नीति 2022 दिनांक 24.08.2022 के पहले के प्रकरण जो आवेदित हो गये पोर्टल द्वारा पास हो चुक्के थे, उनको न रोका जाये ताकि उत्तर प्रदेश का में रूकावट विकास सही दिशा में हो सके और अनावश्यक समय, घन व ग्रुगति न हो और इस सम्बन्ध में अवश्यक निर्देश पारित किया जाए।

सादर निवेदित,

ग्राध

(महेश वन्द्र जौन) पार्टन्गर पलोमा रियलटी एलएलपी, 60/52, नयागंज, कानपुर—208001